



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092020-222145  
CG-DL-E-30092020-222145

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 486]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2020/आश्विन 8, 1942

No. 486]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2020/ASVINA 8, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2020

संख्या. 69/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 595(अ).—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 44 की उपधारा (1) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर नियम के नियम 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 41/2020-केंद्रीय कर, तारीख 5 मई, 2020, जिसे सा.का.नि. 275(अ), दिनांक 5 मई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, "30 सितम्बर 2020" अंको और शब्दों के स्थान पर "31 अक्टूबर, 2020" अंक और शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं.सीबीईसी- 20/06/09/2019 –जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 41/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 5 मई, 2020 द्वारा सा.का.नि. सं. 275(अ), तारीख 5 मई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2020

**No. 69/2020 – Central Tax**

**G.S.R. 595(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 44 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), read with rule 80 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 41/2020-Central Tax, dated the 5<sup>th</sup> May, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 275(E), dated the 5<sup>th</sup> May, 2020, namely:-

In the said notification, for the figures, letters and words “30th September, 2020”, the figures, letters and words “**31<sup>st</sup> October, 2020**” shall be substituted.

[F. No. CBEC-20/06/09/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

**Note:** The principal notification No. 41/2020 - Central Tax, dated the 5th May, 2020, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 275(E), dated the 5th May, 2020.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2020

**संख्या. 70/2020-केन्द्रीय कर**

**सा.का.नि. 596(अ).**— सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 196(अ), तारीख 21 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 13/2020- केन्द्रीय कर, तारीख 21 मार्च, 2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में,-

(i) “किसी वित्तीय वर्ष” शब्दों के स्थान पर “2017-18 से किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ;